CLASS XII - CBSE

HINDI (SOLUTIONS)

1.(a) मानवतावाद बनाम आतंकवाद

'मानवतावाद" और 'आतंकवाद" सर्वथा दो विरोधी अवधारणाएँ हैं। मानवतावाद के मूल में 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'विश्व–बंधुत्व' की भावना है। यह 'संपूर्ण विश्व एक परिवार है' का संदेश देता है। इसके मूल में सह–अस्तित्व की भावना है जबकि आतंकवाद अलगाववाद पर आधारित है। आतंकवाद में मानवीय संवेदनाओं का स्थान नहीं होता। पिछले कुछ दशकों से जिस समस्या ने विश्व को सबसे अधिक आक्रांत किया है, वह है–विश्वव्यापी आतंकवाद। आतंकवाद वह प्रवृत्ति है, जिसमें कुछ लोग अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए हिंसात्मक और अमानवीय साधनों का प्रयोग करते हैं।

आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है शासन व्यवस्था को अपने अनुकूल फैसला लेने हेतु मजबूर करना। हालाँकि बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक–आर्थिक विषमताएँ आदि कारणों से किसी देश अथवा जाति का असंतुष्ट वर्ग देश से अलग होने, पृथक् राज्य स्थापित करने की माँग उठाता है और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरे देश तथा समाज को आतंकित करता है तथा इसके लिए अनेक बर्बर उपाय अपनाता है। आतंकवाद का स्वरूप या उद्देश्य कुछ भी हो, इसका भौगोलिक क्षेत्र कितना ही सीमित या विस्तृत क्यों न हो, आज इसने हमारे जीवन को अनिश्चित और असुरक्षित बना दिया है।

भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कश्मीर में देखने को मिल रहा है। कश्मीर के काफी बड़े भाग पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। शेष कश्मीर को हथियाने के लिए वह कश्मीर के भोले–भाले नवयुवकों के मन में उन्माद पैदा करके उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर ढकेल रहा है। फलतः समूची कश्मीर घाटी हिंसा की आग में जल रही है। इसी प्रकार के स्वार्थपूर्ण कारणों से आज आतंकवाद की समस्या विश्वव्यापी हो गई है।

सामान्यतः संसार के सभी देश इसके विरुद्ध संगठित हो रहे हैं। आतंकवाद मानव–जाति के लिए कलंक है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसका समूल नाश किया जाए। कोई भी देश इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय न दे और न किसी प्रकार उनकी सहायता करे। आतंकवाद जैसी समस्या का समाधान बौद्धिक और सैनिक दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए। विश्व की सभी सरकारों को अतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध परस्पर सहयोग करना चाहिए ताकि कोई भी आतंकवादी गुट कहीं शरण या प्रशिक्षण न पा सके। आतंकवाद के समाप्त होने पर ही मानवता का स्वप्न पूरा हो सकेगा।

(b) वैश्वीकरण

संचार तथा परिवहन के विकास, नई–नई वैज्ञानिक तकनीकों तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से आज न केवल भौगोलिक दूरियाँ कम हुई हैं, बल्कि संसार के विभिन्न राष्ट्र एक–दूसरे के बहुत निकट आ रहे हैं। इस प्रकार विश्व के राष्ट्रों के निकट आने की प्रक्रिया को ही 'वैश्वीकरण' कहा जा रहा है। विश्व के विकसित देशों के पास तकनीक है तो विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के पास कच्चा माल और सस्ता श्रम। आज सभी विकासात्मक कार्यों और समस्याओं की व्याख्या विश्व–स्तर पर होती है। इसलिए विश्व–बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिल रहा है।

वैश्वीकरण में निरंतर बढ़ते औद्योगिक विकास तथा संचार के साधनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। मुद्रण कला तथा इलेक्ट्रॉनिक के विकास से हमें समाचार–पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा विश्व के किसी भाग में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी तत्काल मिल जाती है। उसकी विश्वव्यापी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है।

टेलीफोन, ई–मेल, फैक्स के द्वारा हम अविलंब देश–विदेश में स्थित अपने मित्रों, संबंधियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से संपर्क कर सकते हैं। यातायात के साधन आज इतने विकसित और सुविधाजनक हो गए हैं कि हम अल्प समय में ही हम विश्व के किसी भी हिस्से में पहुँच जाते हैं। संचार एवं यातायात के विकसित साधनों के कारण व्यक्ति के जीवन–स्तर में अंतर आया है।

आज हम विभिन्न देशों में बनी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक विपदाओं में भी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल जाता है। इस प्रकार से एक वैश्विक संस्कृति के उदय होने की संभावना बढ़ती जा रही है। प्रकृति ने संपूर्ण विश्व को भिन्न–भिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ दी हैं। जिसके कारण उन स्थानों की कृषि तथा अन्य उत्पादनों की गुणवत्ता और मात्रा में भी अंतर है। इस स्थिति में जहाँ जिस वस्तु का अभाव रहता है उसकी पूर्ति अन्य देशों से कर ली जाती है। इसी कारण उद्योगपति प्रत्येक स्तर की आवश्यकताओं और माँगों को ध्यान में रखकर अपेक्षित उत्पादन करते हैं।

यदि आज मानव सुखी, शांतिपूर्ण और उन्नत जीवन व्यतीत करना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना में वृद्धि हो और विभिन्न राष्ट्र एक–दूसरे के पूरक बनें। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि वर्तमान वैश्वीकरण के मूल में विकसित देशों के औद्योगिक प्रतियोगिता की भावना निहित है। इस क्षेत्र में जो देश आगे हैं, वे विकासशील और अविकसित देशों में अपनी पूँजी लगाने, अपना उद्योग स्थापित करने, वहाँ के कच्चे माल और सस्ते श्रम का उपयोग करके अधिकाधिक लाभ उठाने की होड़ में लगे हैं। इस होड़ में वे देश अधिक सफल तो हो रहे हैं किंतु उनकी इस प्रतियोगिता से उन देशों की प्रगति रुक जाने का भय है जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इससे विकसित और अविकसित देशों के बीच की खाई के और भी बढ़ जाने की आशंका है।

वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया में विकासशील और अविकसित देशों को यह सावधानी बरतनी होगी कि वे इस होड़ में विकसित देशों के आर्थिक शोषण के शिकार न बनें तथा इसका उनके औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तभी वैश्वीकरण की भावना समता और सहयोग पर आधारित होगी और समूचे विश्व का विकास तथा कल्याण होगा और 'वसुधैव कुटुंबकम' का हमारा स्वप्न साकार होगा।

(c) मन के हारे हार है, मन के जीते जीत

मन सांसारिक बंधनों का और उनसे छुटकारा पाने का सबसे प्रबल माध्यम है। कहा भी गया है –

''मन एवं मनुष्याणा करणं बाँध–मोक्षयोः।''

अर्थात मन ही व्यक्ति के बंधन व मोक्ष का कारण है। वस्तुतः मन मानव के व्यक्तित्व का वह ज्ञानात्मक रूप है जिससे उसके सभी कार्य संचालित होते हैं। मन में मनन करने की शक्ति होती है। यह संकल्प–विकल्प का पूँजीभूत रूप है। मननशीलता के कारण ही मनुष्य को चिंतनशील प्राणी की संज्ञा दी गई है। यदि यह मान लिया जाए कि मन से प्रेरित होकर व्यक्ति सारे कार्य करता है तो यह उक्ति सर्वथा सत्य है कि मन के हारने से बड़े–बड़े संकल्प धराशायी हो जाते हैं और जब तक मन की संकल्प शक्ति नहीं टूटती, तब तक व्यक्ति कठिन–से–कठिन कार्य को करने में भी असफल नहीं होता।

फलतः सफलता या असफलता उस कर्म के प्रति व्यक्ति की आसक्ति की मात्रा निर्भर होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो मन की शक्ति के परिचायक हैं। शिवाजी द्वारा मुगलों पर विजय, गांधी के सत्य और अहिंसा के प्रति अटूट विश्वास से अंग्रेजों का भागना, सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा–शक्ति से भारतीय रियासतों का एकीकरण आदि उदाहरण हमारे सामने हैं। गुरु नानक ने भी 'मन जीते जग जीत' कहकर मन की संकल्प शक्ति पर प्रकाश डाला है। गीता में भगवान कृष्ण ने दुर्बल अर्जुन को शक्ति का संदेश नहीं दिया, अपितु मन से हारने वाले अर्जुन को मानसिक दृढ़ता का संदेश दिया। महाबली कर्ण भी अंत में मन की दुर्बलता के कारण पराजित हुआ। राष्ट्रकवि दिनकर ने 'रश्मिरथी' में मन की अजेय शक्ति का वर्णन किया है–

दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा हुआ जयी राधेय और अर्जुन इस रण में हारा।

मन की संकल्प शक्ति अद्भुत होती है। मन ही अच्छे–बुरे का निर्णय करता है। मन के निर्णय के अनुसार ही मानव–शरीर कार्य करता है। मनोबल के बिना मनुष्य निर्जीव ढाँचा बनकर रह जाता है। मुसीबतों को देखकर जीवन–यात्रा से क्लांत नहीं होना चाहिए। हमें मन मैं कभी भी निराशा की भावना नहीं लानी चाहिए। हिम्मत के बलबूते पर हम अपने सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कहा भी गया है।

"हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरिनाम।"

(d) मेरे जीवन का लक्ष्य

जीवन एक यात्रा के समान है। जिस प्रकार यात्रा प्रारंभ करने से पहले व्यक्ति अपना गंतव्य स्थान निश्चित करता है, वैसे ही हमें भी अपनी जीवन–यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपना कार्य–क्षेत्र निर्धारित कर लेना चाहिए। हर विद्यार्थी को अपने जीवन का उद्देश्य व लक्ष्य निश्चित कर लेना चाहिए। लक्ष्यहीन जीव स्वच्छंद रूप से सागर में छोड़ी हुई नाव के समान होता है। ऐसी नौका या तो भेंवर में डूब जाती है या चट्टान से टकराकर चूर–चूर हो जाती है। मैंने भी अपने जीवन में अध्यापक बनने का निश्चय किया है। मैं उस कर्म को श्रेष्ठ समझता हूँ, जिससे व्यक्ति अपना व अपने परिवार का तो कल्याण कर ही सके, साथ ही समाज को भी दिशा–निर्देश दे सके।

अध्यापक का कार्य भी कुछ इसी प्रकार का है। वह सरस्वती के मंदिर का एक ऐसा पुजारी है जो मनुष्य को सच्चा मानव बनाता है। बिना विद्या के मनुष्य बिना सींग और पूँछ के चलता–फिरता पशु है। महादेवी जी का कहना है–'विकसते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चंद" अर्थात फूल मुरझाने के लिए विकसित होता है और चाँद छिपने के लिए, किंतु फूल मुरझाने से पहले अपनी सुगंध का प्रसार करता है और चाँद भी छिपने से पहले अपनी शीतल चाँदनी से संसार को आनंदित करता है। इस तरह में व्यक्ति की योग्यता को तब तक सार्थक नहीं समझता जब तक वह समाज के लिए लाभदायक न हो।

अध्यापक यह कार्य करने की सर्वाधिक क्षमता रखता है। मेरा विश्वास है कि शिक्षा के समुचित विकास के बिना कोई भी नागरिक न अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है और न कभी दूसरों के अधिकारों का सम्मान कर सकता है। मैं एक शिक्षक बनकर शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने का प्रयत्न करूंगा। प्रचलित शिक्षा–पद्धति में अनेक कमियाँ हैं। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में सस्ते क्लर्क पैदा करना था।

अतः उन्होंने गुलाम मानसिकता प्रदान करने वाली शिक्षा–व्यवस्था बनाई जो चंद परिवर्तनों को छोड़कर आज भी ज्यों–की–त्यों लागू है। मैं इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहूँगा। विद्यालय परिसर के बाहर भी विद्यार्थियों के साथ अत्यंत निकट का संपर्क स्थापित करूंगा और हर विद्यार्थी की योग्यता व रुचि को समझने का प्रयत्न करूंगा।

पढ़ाई के साथ–साथ कला, शिल्प आदि सिखाने का भी भरसक प्रयास करूंगा, जिससे विद्यार्थी केवल नौकरी पर आश्रित न रहे, अपितु वह अन्य क्षेत्रों में भी रोजगारपरक कार्य कर सके। साथ–साथ मैं सदैव शिक्षा, सद्व्यवहार और सहानुभूति द्वारा विद्यार्थियों में श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार अध्यापक ही बच्चों को मानवता और विश्व–बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है। इसीलिए कबीर ने गुरु को गोविंद से भी उच्च आसन पर आसीन किया है –

"गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागौं पाँय ।

बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय।।"

अतः मैं भी सफल और श्रेष्ठ अध्यापक बनकर विद्यार्थियों के मनमंदिर का देवता बनने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा।

2. 624 मुखर्जी नगर,

दिल्ली।

दिनांक 12–6–22

सेवा में,

सम्पादक महोदय,

नवभारत टाइम्स,

दिल्ली।

विषय : समाचार पत्र–पत्रिकाओं में छपने वाले भ्रामक विज्ञापन हेतु।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान पत्र–पत्रिकाओं में छपने वाले भ्रामक विज्ञापनों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आज हमें दूरदर्शन, पत्र–पत्रिकाओं आदि सभी जगह विभिन्न विज्ञापन देखने को मिलते हैं। कुछ विज्ञापनों के माध्यम से हमें नई–नई जानकारी प्राप्त होती है तो कई ऐसे विज्ञापन भी देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा आज की युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। ऐसे विज्ञापनों में नाममात्र भी सच्चाई नहीं होती। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि ऐसे विज्ञापनों में विज्ञापनदाता का पता आदि भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अतः इस प्रतिष्ठित पत्र के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस सन्दर्भ में जल्द ही सख्त से सख्त कदम उठाए।

धन्यवाद।

भवदीय

विशाल

अथवा

3 शान्ति निकेतन,

नैनीताल–2 (उत्तराखण्ड)।

दिनांक 17–1–2022

सेवा में,

निदेशक,

राजकीय संग्रहालय,

अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)।

विषय नौकरी पाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके 15 जनवरी, 2022 के दैनिक 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार मैं 'हिन्दी आशुलिपिक' के पद के लिए अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी योग्यता तथा अनुभव इस प्रकार हैं–

शैक्षिक योग्यताएँ

1.	हाईस्कूल यू.पी. बोर्ड	प्रथम श्रेणी	2005
2.	इण्टरमीडिएट यू.पी. बोर्ड	द्वितीय श्रेणी	2007
3.	बी.ए. कुमाऊँ वि.वि.	द्वितीय श्रेणी	2009
4.	आई.टी.आई. (हिन्दी आशुलिपि)	बी ग्रेड	2012

व्यावहारिक योग्यताएँ

1. हिन्दी आशुलिपि गति 120 शब्द प्रति मिनट।
2. हिन्दी टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट।
3. अंग्रेजी टंकण गति 40 शब्द प्रति मिनट।

अनुभव मैंने विगत 18 महीनों तक उपनिदेशक पशुपालन विभाग नैनीताल के कार्यालय में हिन्दी आशुलिपिक के पद पर कार्य किया है। योग्यता और अनुभव के अतिरिक्त मुझे पाठ्येतर कार्यकलापों में बड़ी रुचि रही है। मैं फुटबाल का अच्छा खिलाड़ी हूँ और कॉलेज की टीम का विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ।

यदि उक्त पद पर सेवा करने का सुअवसर मिला तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अपने कार्य एवं व्यवहार से सदैव आपको सन्तुष्ट रखूंगा। प्रमाण–पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतिलिपियाँ इस आवेदन–पत्र के साथ संलग्न हैं।

संलग्नक संख्या 7

भवदीय

सुरेश सक्सेना

3.(i) कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। कहानी कहीं अथवा पढ़ी जाती है। कहानी को आरंभ, मध्य और अंत के आधार पर बांटा जाता है। कहानी में मंच सज्जा, संगीत तथा प्रकाश का महत्त्व नहीं है।

अथवा

कहानी के पात्र नाट्य रूपांतरण में निम्न प्रकार से परिवर्तित किये जा सकते हैं–

1. नाट्य रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता का नाटक के पात्रों से मेल होना चाहिए।
2. पात्रों की भावभंगिमाओं तथा उनके व्यवहार का भी उचित ध्यान रखना चाहिए।
3. पात्र घटनाओं के अनुरूप मनोभावों को प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए।
4. पात्र अभिनय के अनुरूप होने चाहिए।
5. पात्रों का मंच के साथ मेल होना चाहिए।

(ii) प्राचीन कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजन या उपदेशात्मक था किंतु आज विविध सामाजिक परिस्थितियां जीवन के प्रति विशेष दृष्टिकोण या किसी समस्या का समाधान और जीवन मूल्यों का उद्घाटन आदि कहानी के उद्देश्य होते हैं यहां उल्लेखनीय है कि कहानी का मूल्यांकन करते समय उसमें निर्मिति और एकता का होना आवश्यक होता है कहानी यदि पाठक के मन पर अद्भुत प्रभाव डालती है तो कहानीकार का उद्दश्य पूर्ण हो जाता है। अतः कहानी कला के शास्त्रोय नियमों की अपेक्षा उसकी अत्यंत प्रभाव क्षमता अधिक महत्वपूर्ण होती है।

अथवा

देशकाल वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग अनुरूप के प्रति विशेष सतर्क रहना आवश्यक होता है। पश्चिमी नाटक में देशकाल के अंतर्गत संकलनअत्र समय स्थान और कार्य की कुशलता का वर्णन किया जाता है। वस्तुतः यह तीनों तत्त्व 'यूनानी रंगमंच' के अनुकूल थे। जहां रात भर चलने वाले लंबे नाटक होते थे और दृश्य परिवर्तन की योजना नहीं होती थी। परंतु आज रंगमंच के विकास के कारण संकलन का महत्त्व समाप्त हो गया है। भारतीय नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख ना होते हुए भी नाटक में स्वाभाविकता, औचित्य तथा सजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देशकाल वातावरण का उचित ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत पात्रों की वेशभ्षा तत्कालिक धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों में युग का विशेष स्थान है। अतः नाटक के तत्वों में देशकाल वातावरण का अपना महत्त्व है।

4.(i) मुद्रित प्रिंट माध्यम निरक्षरों के लिए बेकार की वस्तु है। इसके अलावा वे किसी घटना की खबर एक निश्चित समय बाद ही दे सकते हैं।

अथवा

मुद्रित संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि–चिहनों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट–चिहन या कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बाँधना 'कूटीकरण' या 'एनकोडिंग' कहलाता है।

(ii) ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा नाम फ़्लैश भी है। इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम–से–कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुँचाया जाता है, जैसे – नेपाल में आया भीषण भूकंप। दो रेलगाड़ियों में टक्कर, दस मरे, सैकड़ों घायल।

अथवा

पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व समसामयिक घटनाओं की जानकारी शीघ्र देने का है।

5.(i) सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण–क्षण में परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख–सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो ज़ाते हैं।

(ii) पेट की आग का शमन ईश्वर (राम) भक्ति का मेघ ही कर सकता है–तुलसी का यह काव्य–सत्य कुछ हद तक इस समय का भी युग–सत्य हो सकता है किंतु यदि आज व्यक्ति निष्ठा भाव, मेहनत से काम करे तो उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। निष्ठा और पुरुषार्थ–दोनों मिलकर ही मनुष्य के पेट की आग का शमन कर सकते हैं। दोनों में एक भी पक्ष असंतुलित होने पर वांछित फल नहीं मिलता। अतः पुरुषार्थ की महत्ता हर युग में रही है और आगे भी रहेगी।

(iii) फिराक गोरखपुरी ने 'गजल" में दर्द व कसक का वर्णन किया है। उसने बताया है कि लोगों ने उसे सदा ताने दिए हैं। उसकी किस्मत हमेशा उसे दगा देती रही। दुनिया में केवल गम ही था जो उसके पास रहा। उसे लगता है जैसे रात के सन्नाटे में कोई बोल रहा है। इश्क के बारे में शायर का कहना है कि इश्क वही पा सकता है जो अपना सब–कुछ दाँव पर लगा दे। कवि की गजलों पर मीर की गजलों का प्रभाव है। यह गज़ल इस तरह बोलती है जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है।

6.(i) पहलवान लुट्टन के सुख–चैन के दिन तब शुरू हुए जब उसने चाँद सिंह को कुश्ती में हराकर अपना नाम रोशन किया। राजा ने उसे दरबार में रखा। इससे उसकी कीर्ति दूर–दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन व राजा की स्नेह–दृष्टि मिलने से उसने सभी नामी पहलवानों को जमीन सूंघा दी। अब वह दर्शनीय जीव बन गया। मेलों में वह लंबा चोंगा पहनकर तथा अस्त–व्यस्त पगड़ी बाँधकर मस्त हाथी की तरह चलता था। हलवाई उसे मिठाई खिलाते थे।

(ii) दोनों जगह के कस्टम अधिकारियों ने सफ़िया और उसकी नमक रूपी सद्भावना का सम्मान किया। केवल सम्मान ही नहीं, उसे यह भी जानकारी मिली कि उनमें से एक देहली को अपना वतन मानते हैं और दूसरे ढाका को अपना वतन कहते हैं। उन दोनों ने सफ़िया के प्रति पूरा सद्भाव दिखाया, कानून का उल्लंघन करके भी उसे नमक ले जाने दिया। अमृतसर वाले सुनील दास गुप्त तो उसका थैला उठाकर चले और उसके पुल पार करने तक वहीं पर खड़े रहे। उन अधिकारियों ने यह साबित कर दिया कि कोई भी कानून या सरहद प्रेम से ऊपर नहीं है।

(iii) डॉ० आंबेडकर 'समता' को कल्पना की वस्तु मानते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति समान नहीं होता। वह जन्म से ही सामाजिक स्तर के हिसाब से तथा अपने प्रयत्नों के कारण भिन्न और असमान होता है। पूर्ण समता एक काल्पनिक स्थिति है, परंतु हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए।

(iv) जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर यह है कि जाति–विभाजन, श्रम–विभाजन के साथ–साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। सभ्य समाज में श्रम–विभाजन आवश्यक है परंतु श्रमिकों के वर्गों में विभाजन आवश्यक नहीं है। जाति–विभाजन में श्रम–विभाजन या पेशा चुनने की छूट नहीं होती जबकि श्रम–विभाजन में ऐसी छूट हो सकती है। जाति–प्रथा विपरीत परिस्थितियों में भी रोजगार बदलने का अवसर नहीं देती, जबकि श्रम–विभाजन में व्यक्ति ऐसा कर सकता है।

7.(i) ऐन की डायरी किशोर मन की ईमानदार अभिव्यक्ति है। इससे पता चलता है कि किशोरों को अपनी चिट्ठयों और उपहारों से अधिक लगाव होता है। वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे बड़े लोग नकारते रहते हैं, जैसे ऐन का केश–विन्यास जो फ़िल्मी सितारों की नकल करके बनाया जाता था। इस अवसर पर बड़ों द्वारा बात–बात पर कमी निकाली जाती है या किशोरों को टोका जाता है। यह बात किशोरों को बहुत ही नागवार गुजरती है। किशोर बड़ों की अपेक्षा अधिक ईमानदारी से जीते हैं। इन्हें जीने के लिए सुंदर, स्वस्थ वातावरण चाहिए। किशोरावस्था में ऐन की भाँति हम सभी अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

अथवा

सिंधु–सभ्यता की खोज की शुरुआत में यह माना जा रहा था कि इस घाटी के लोग अन्न नहीं उपजाते थे। वे अनाज संबंधी जरूरतें आयात से पूरा करते थे, परंतु नयी खोजों से पता चला है कि यहाँ उन्नत खेती होती थी।

अब कुछ विद्वान इसे मूलतः खेतिहर व पशुपालक सभ्यता मानते हैं। खेती में ताँबे व पत्थर के उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे। यहाँ रबी की फसल में गेहूँ, कपास, जौ, सरसों व चने की खेती होती थी। इनके सबूत भी मिले हैं। कुछ दिनों का विचार है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और साग की उपज भी होती थी। लोग खरबूजे और अंगूर भी उगाते थे।

(ii) लेखक का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी नहरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। लोग कुंओं के जल का प्रयोग करते थे। वर्षा भी पर्याप्त होती थी क्योंकि यहाँ खेती के भी खूब प्रमाण मिले हैं। लेखक का अनुमान है कि धीरे–धीरे वर्षा कम होने लगी होगी तथा यहाँ रेगिस्तान बनना प्रारंभ हुआ होगा। इसके साथ ही भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से जल की कमी होनी शुरू हो गई होगी। सिंधु–सभ्यता में जल का प्रबंधन व उपयोग बहुत समझदारी से किया जाता था। जल की निकासी, सामूहिक स्नानागार आदि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग जल का प्रचुर मात्रा में उपयोग करते रहे होंगे। प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण जल की कमी हो गई और सिंधु घाटी सभ्यता उजड़ गई।

अथवा

'ऐन' की डायरी' के अंश से प्राप्त होने वाली तीन महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नलिखित हैं – अज्ञातवास के दौरान एकाकीपन की पीड़ा, युद्ध के कारण भूख, गरीबी और नैतिकता का पतन, भय और आशंका, हिटलर द्वारा यहूदियों को यातना देने के विषय में, स्त्रियों की स्वतंत्रता के विषय में आधुनिक विचार, डच लोगों की प्रवृत्ति तथा प्रतिक्रिया।